न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 25 / 2004
आरसीएमएस नं. :– 2004 / 00171

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

रामलाल पुत्र श्री हीराराम जाति चमार निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा

–– रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत 75 एलआरएक्ट
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, क्रमांक 413–15 दिनांक 09.10.2002
बहक रामलाल राजकीय परत भूमि का आवंटन आदेश

उपस्थितिः–
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 10.X.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 18 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट रामलाल को चक 2 बीएचपी के मू0 नं0 45 के किला नं. 1, 3, 4, 5 की कुल 3.13 बीघा अनकमाण्ड भूमि का स्थाई आवंटन किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि कभी भी रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है इसलिए प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेण्ट को आवंटन करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। अपीलाधीन आवंटन अपीलाण्ट को सुने बिना तथा साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में ग्राम 2 बी.एच.पी. पटवार हल्का करनपुरा की जमाबंदी संवत 2055 से 58 प्रस्तुत की है। जिसमें प्रश्नगत भूमि सिवाय चक काबिल काश्त भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सिवाय चक कबिल काश्त भूमि तो है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्गनत भूमि के आवंटन के आदेश दिये मगर अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट सुना जाना चाहिए था उसे सुना नहीं गया है एवं अपीलाण्ट के कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2002 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.X.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़